Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, ब्लाक एफ–5, शिवराज ग्रिन्स, धमतरी को धमतरी वनमंडल अंतर्गत 147.66 हे., केशकाल वनमंडल अंतर्गत 41.28 हे. एवं कांकेर जिले के कांकेर वनमंडल अंतर्गत 39.08 हे. कुल 228.042 हे. वन भूमि (Development of Economic Corridors, Inter – Corridors, feeder movement in India (Lot-03/Odisha & Jharkhand / Package-2) Raipur – Vishakhapatnam (Ch.0.000-Ch. 124.661) in the State of Chhattisgarh) भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर–विशाखापटनम, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 06-01-2022

Place : Raipur

PREM KUMAR
Secretary
Govt. of Chhattisgarh
Forest & Climate Change Dept.
Mantralaya Mahanadi Bhawan
Nawa Raipur, Atal Nagar

Name - Prem Kumar

Designation - Secretary,
C.G. Govt.,
Forest & Climate Change Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–29/2021/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 7 /01/2022

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ – 492015।

विषय :– धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल/कांकेर जिले के कांकेर वनमंडल एवं कोण्डागांव जिले के केशकाल वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु NHAI PIU DHAMTARI द्वारा Development of Economic Corridors, Inter–Corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the effieciency, of freight movement in India (Lot-03/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur–Vishakhapatnam (CH.0.000-Ch. 124.661) in the State of Chhattisgarh under Bharatmala Pariyojana. (Forest Proposal is for between km 42+844 to km 124.661) हेतु 228.0425 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–883/8138, दिनांक 29.12.2021।

––00––

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र –** आवेदनकर्ता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग ब्लाक एफ– 5 शिवराज ग्रिन्स, धमतरी द्वारा धमतरी वनमंडल अंतर्गत 147.6694 हे. केशकाल वनमंडल अंतर्गत 41.2862 हे. एवं कांकेर वनमंडल अंतर्गत 39.0869 हे. वन भूमि भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर–विशाखापटनम, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 228.0425 हे. आरक्षित, संरक्षित एवं नारंगी वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।	1 – 69

वन मंडलवार वन भूमि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	वन मंडल	आरक्षित वन (हे.)	संरक्षित वन (हे.)	नारंगी वन (हे.)	योग
1	धमतरी	147.6694	–	–	147.6694
2	केशकाल	28.0382	8.9129	4.3351	41.2862
3	कांकेर	29.9618	–	9.1251	39.0869
	योग	**205.6694**	8.9129	**13.4602**	**228.0425**

क्रमशः : 2

- 1 -Raipur-Vishakhaptnam Bhartmala Project 228.0425 ha. L.doc

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
2	**प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) –** वनमंडलाधिकारी धमतरी द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक–FP/CG/ROAD/119866/2021 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 16.07.2021 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 58,000 रूपये जमा कराया गया है।	70 – 73
3	**वन क्षेत्र का विवरण –** धमतरी वनमंडल अंतर्गत 147.6694 हे. केशकाल वनमंडल अंतर्गत 41.2862 हे. एवं कांकेर वनमंडल अंतर्गत 39.0869 हे. वन भूमि भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर–विशाखापटनम,राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 228.0425 हे. आरक्षित, संरक्षित एवं नारंगी वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।	74 – 76
4	**गैर वन क्षेत्र का विवरण –** भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर–विशाखापटनम, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु वनमंडलवार निम्नानुसार गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है:– <table><tr><th>क्र.</th><th>वनमंडल</th><th>गैर वन भूमि का विवरण (हे. में)</th></tr><tr><td>1</td><td>धमतरी</td><td>22.6652</td></tr><tr><td>2</td><td>केशकाल</td><td>56.6062</td></tr><tr><td>3</td><td>कांकेर</td><td>124.4556</td></tr><tr><td colspan="2">**योग**</td><td>**203.7270**</td></tr></table>	77 – 86
5	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर –** प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	87 – 94
6	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप –** वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।	95– 116
7	**प्रपत्र–4 में प्रस्ताव –** प्रपत्र–4 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित धमतरी वन मंडल अंतर्गत 147.6694 हे. केशकाल वन मंडल अंतर्गत 41.2862 हे. एवं कांकेर वनमंडल अंतर्गत 39.0869 हे. वन भूमि भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर–विशाखापटनम, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 228. 0425 हे. के लिए परियोजना की प्रशासकीय लागत 4068.16 करोड़ बतायी गई है।	117–142
8	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप –** धमतरी जिले के धमतरी वन मंडल अंतर्गत 147.6694 हे.; कोण्डागांव जिले के केशकाल वन मंडल अंतर्गत 41.2862 एवं कांकेर जिले के कांकेर वनमंडल अंतर्गत 39.0869 हे. वन भूमि भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर –विशाखापटनम राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 228.0425 हे. वन भूमि के लिए प्रस्ताव का विस्तृत टीप संलग्न है।	143 – 146
9	**वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र –** यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।	147
10	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र –** प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।	148 – 150
11	**पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र –** भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की प्रति संलग्न है।	151 – 152

क्रमश : 3

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
12	**वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में)** – आवेदित क्षेत्र में विदोहित होने वाले वृक्षों की संख्या वन मंडलवार निम्नानुसार है:–	153 – 161

क्र.	वनमंडल का नाम	साईट क्वालिटी	विदोहित होने वाले वृक्षों की संख्या
1	धमतरी	II, III, IVA , IVB	62,728
2	केशकाल	III, IVA	9,544
3	कांकेर	III, IVA , IVB	1,5341
योग			87,613

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
13	**कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस** – परियोजना का कास्ट बेनीफिट एनालिसिस संलग्न है।	162 – 169
14	**चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र –** प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना हेतु गैर वन भूमि/निजी भूमि प्रस्तावित नहीं है। इस आशय का यूजर एजेंसी एवं वनमंडलाधिकारी, धमतरी एवं नोडल अधिकारी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	170
15	**गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा –** प्रस्तावित परियोजना हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं। इस आशय का वनमंडलाधिकारी, धमतरी एवं नोडल अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।	
16	**स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –** आवेदित वन भूमि धमतरी वनमंडल अंतर्गत 147.66 हे. केशकाल वनमंडल अंतर्गत 41.28 हे. एवं कांकेर वनमंडल अंतर्गत 39.08 हे. वन भूमि भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर–विशाखापटनम, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 228.042 हे. के एवज में दुगुने बिगड़े वन भूमि महासमुन्द वन मंडल में 457 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित है। 10 वर्षीय सिंचित परियोजना प्रतिवेदन 7,98,897/– प्रति हे. की दर से तैयार किया गया है। वनखण्डवार, कक्षवार एवं रकबावार जानकारी प्रस्ताव में संलग्न है।	172 – 191
17	**वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –** वैकल्पिक वृक्षारोपण वनमंडलाधिकारी, महासमुन्द वनमंडल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।	192 – 208
18	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण –** वनमंडलाधिकारी धमतरी, केशकाल एवं कांकेर वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	209 – 212
19	**अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण –** बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।	213 – 215
20	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही –** बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।	216 – 218
21	**वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र –** वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने वन भूमि प्रस्तावित होने के कारण गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वनमंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	219
22	**कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान –** प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से संबंधित होने के कारण लागू नहीं। प्रमाण पत्र संलग्न है।	220
23	**रिक्लेमेशन प्लान –** प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	221

<table>
<tr><th>बिंदु क्र.</th><th>विवरण</th><th>संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप</th></tr>
<tr><td>24</td><td>माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) –
प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।</td><td>222</td></tr>
<tr><td>25</td><td>व्यवस्थापन प्लान –
प्रस्ताव में किसी को उक्त क्षेत्र में से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।</td><td>223 – 225</td></tr>
<tr><td>26</td><td>वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) –
भाग–2 पर वनमंडलाधिकारी, धमतरी वनमंडल द्वारा दिनांक 25.12.2021 को, केशकाल वनमंडल द्वारा दिनांक 16.12.2021 एवं वनमंडलाधिकारी, कांकेर वनमंडल द्वारा दिनांक 16.12.2021 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी धमतरी, केशकाल एवं कांकेर के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त द्वारा दिनांक 25.12.2021, मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त द्वारा दिनांक 27.12.2021 प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।</td><td>226 – 240</td></tr>
<tr><td>27</td><td>ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र –
व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वनमंडलाधिकारी एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।</td><td>241 – 243</td></tr>
<tr><td>28</td><td>संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –
ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।</td><td>244 – 245</td></tr>
<tr><td>29</td><td>जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) – जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है:–
<table><tr><th>क्र.</th><th>जिले का नाम</th><th>जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में)</th></tr><tr><td>1</td><td>धमतरी</td><td>212554.000</td></tr><tr><td>2</td><td>कोण्डागांव</td><td>365257.400</td></tr><tr><td>3</td><td>कांकेर</td><td>4084.077</td></tr><tr><td colspan="2">योग</td><td>581895.477</td></tr></table></td><td>246 – 248</td></tr>
<tr><td>30</td><td>व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में –
जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि का जिलेवार रकबा निम्नानुसार है:–
<table><tr><th>क्र.</th><th>जिले का नाम</th><th>स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि का रकबा (रकबा हे. में)</th></tr><tr><td>1</td><td>धमतरी</td><td>587.037</td></tr><tr><td>2</td><td>कोण्डागांव</td><td>126.569</td></tr><tr><td>3</td><td>कांकेर</td><td>680.627</td></tr><tr><td colspan="2">योग</td><td>1394.233</td></tr></table></td><td>249 – 251</td></tr>
<tr><td>31</td><td>व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में –
जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल व्यपवर्तित वन भूमि का जिलेवार रकबा निम्नानुसार है:–
<table><tr><th>क्र.</th><th>जिले का नाम</th><th>कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा (रकबा हे. में)</th></tr><tr><td>1</td><td>धमतरी</td><td>25.147</td></tr><tr><td>2</td><td>कोण्डागांव</td><td>20.786</td></tr><tr><td>3</td><td>कांकेर</td><td>–</td></tr><tr><td colspan="2">योग</td><td>45.933</td></tr></table></td><td>255 – 258</td></tr>
</table>

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
32	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी –** वनमंडलाधिकारी कांकेर एवं केशकाल वनमंडल के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र सीतानदी अभ्यारण्य के 10 कि.मी. के परिधि में सरोना परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक आरक्षित वन 120, 121, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 115, 118, 119, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 152, 153, 154, 155, 156 तथा नारंगी वन भूमि कक्ष क्रमांक 135, 128, 429 एवं 447 प्रभावित हो रहा है। इसी प्रकार केशकाल वनमंडल अंतर्गत प्रस्तावित 10 कि.मी. के परिधि में नहीं है, अपितु 97.8924 हे. क्षेत्र इकोलॉजिकल सेन्सेटीव जोन के अंतर्गत आते है।	259 – 261
33	**15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन –** खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।	262 – 264
34	**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण का कलेक्टर धमतरी, कोण्डागांव एवं कांकेर का अनापत्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त है जिसे प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित करते समय उपलब्ध करा दी जायेगी। द्वितीय चरण स्वीकृति के पूर्व जमा किया जावेगा। तदाशय का भारत सरकार, नई दिल्ली का दिनांक 05.02.2013 से जारी दिशा निर्देश प्रस्ताव में संलग्न है।	265 – 268
35	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र –** प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि संबंधित कलेक्टर धमतरी का दिनांक 24.12.2021 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	269 – 273
36	**माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र** – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	274 – 276
37	**Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance –** यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	277 – 279
38	**A detailed note on Soil Productivity or the lack of it –** प्रस्तावित स्थल कृषि भूमि योग्य है तथा मृदा, वृक्षों/वनस्पत्तियों के लिए सामान्य एवं उपयुक्त है। वनमंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन संलग्न है।	280 – 282
39	**परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र –** वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है ऐसा प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी एवं वनमंडलाधिकारी धमतरी, केशकाल एवं कांकेर वनमंडल के द्वारा दिया गया है।	283 –285
40	**Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 –** केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।	286
41	**पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण –** बिन्दु क्रमांक–2 पर विस्तृत विवरण दिया गया है।	287
42	**वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत –** आवेदक विभाग द्वारा वन्यप्राणी योजना तैयार कर ऑन लाईन अपलोड किया जा चुका है। संबंधित वन मंडल एवं मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में परीक्षणाधीन है।	288
43	**विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण** –प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा। तदाशय का संबंधित वनमंडलाधिकारियों का वचन पत्र संलग्न है।	289
44	**प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण** –तीन वैकल्पिक रूट एवं उसके औचित्य को दर्शाते हुए मानचित्र संलग्न है।	290– 295

क्रमश : 6

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्न :– प्रस्ताव 1 प्रति में ।

6.1.22

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ–5–29/2021/10–2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 /01/2022

प्रतिलिपिः–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ,

2.मुख्य वन संरक्षक, रायपुर/कांकेर वृत्त, छत्तीसगढ़।

3.वनमंडलाधिकारी, धमतरी/कांकेर/केशकाल वनमंडल, छत्तीसगढ़ ।

4.परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, ब्लाक एफ–5, शिवराज ग्रिन्स, धमतरी, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

O/c